रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94



# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 1994/चैत्र 2, 1916
No. 131] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 1994/CHAITRA 2, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधान समाहर्ता सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय (उत्तर क्षेत्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 मार्च, 1994

सं. 4/94—सीमाशुल्क (एन.टी.) एन.जेड.ओ.

का.आ. 244(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 17/90 सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 6-4-90 यथासंशोधित अधिसूचना सं. 34/90

दिनांक 18-6-90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा हरियाणा राजस्व के जिला गुड़गाँव की तहसील गुड़गाँव के ग्राम मेदावास को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की सं. 52) की धारा 9 के अन्तर्गत शत प्रतिशत निर्यात करने वाला उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से भांडागारण स्टेशन घोषित करता हूं।

[सी.सं.पी.सी.यू. (एन.जेड.) डी.एल.आई.-7/5/94]

जि.प्र. कौशिक, प्रधान सभाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमाशुल्क

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE (NORTH ZONE)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1994

NO. 4/94-CUSTOMS (N.T.) NZO

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 17/90-Customs (N.T.) dt. 6-4-90 as amended by Notification No. 34/90 dt. 18-6-90 of the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, I hereby declare Village Maidavas of Tehsil Gurgaon of Distt. Gurgaon in the State of Haryana to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (No. 52 of 1962) for the purposes of setting-up of Hundred Percent Export Oriented Undertaking.

[C. No. PCU(NZ)DLI-7/5/94.]

J. P. KAUSHIK, Principal Collector, Customs & Central Excise

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994